UPMI010029682026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 1, मीरजापुर।
उपस्थित : संतोष कुमार गौतम, एच0जे0एस0
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 993/2026

1. संतोष कुमार, पुत्र श्री जगदीश राय, निवासी डी0एल0–202, डिलाईट डिवाईन अमार्टमेण्ट, त्रिवेणीपुरम, झूँसी, इलाहाबाद। उ0प्र0
2. अमित कुशवाहा, पुत्र श्री एम0एल0 कुशवाहा, निवासी 9/1–एच0 न्यू ददरी, यमुना नगर, नैनी, पी0ओ0 नैनी, इलाहाबाद। उ0प्र0

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य व अन्य .....अभियोजन

मु0अ0सं0 –351/2025
धारा–319(2),318(4),338,336(3),
340(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–को0 कटरा, जनपद मीरजापुर।

दिनांक 16.07.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण संतोष कुमार व अमित कुशवाहा द्वारा, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, मु0अ0सं0–351/2025, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3) व 340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली कटरा, जनपद मीरजापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है जो शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अनूप कुमार दूबे द्वारा दिनांक 11.11.2025 को थाना कोतवाली कटरा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि ''प्रार्थी कुरकुठिया, सण्डवा, मीरजापुर का रहने वाला है। विपक्षीगण 1. भागीरथी मौर्या पुत्र रामपति मौर्या निवासी मुंह कुचवा 2. संतोष कुमार निवासी सिविल लाइन, प्रयागराज 3. अमित कुशवाहा, निवासी नैनी, प्रयागराज 4. श्यामकुमारी पत्नी भागीरथी मौर्या, निवासी मुंहकुचवा, मीरजापुर 5. कृष्णा प्रकाश पुत्र भोला मौर्या, निवासी मुँहकुचवा, आमघाट रोड, मीरजापुर का एक संगठित गिरोह है, जिसके द्वारा सिटी म्युचुअल बेनेफिट इंडिया लिमिटेड के नाम से फर्जी फाइनेन्स कंपनी बनाकर इस नाम के इलेक्ट्रॉनिक रूप से फर्जी एवं कूटरचित बांड तैयार कर लोगों को छलपूर्वक बांड बेचकर उनसे नियत तिथियों पर किस्त जमा कराकर फर्जी कूटरचित रसीद देकर यह आश्वासन दिया गया कि परिपक्वता धनराशि दिये जाने का आश्वासन दिया गया। विपक्षीगण द्वारा मुझ प्रार्थी से धोखाधड़ी करते हुये माह सितम्बर, 2024 तक धनराशि उक्त फर्जी कम्पनी में जमा कराया गया। अब जबकि उक्त कंपनी के लोगों द्वारा दिया गया बाण्ड की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर मै प्रार्थी कम्पनी के बरौंधा कचार स्थित शाखा में अपना भुगतान लेने के लिये पहुँचा तो वहां पर ताला बन्द देखकर मैं आस–पास के लोगों से जानकारी ली गयी तो पता चला कि उक्त कम्पनी के लोग कई महीनों से कम्पनी में ताला बन्द कर कम्पनी छोड़कर भाग गये हैं। मेरी तरह कम्पनी में बहुत लोग पैसा जमा करने वाले व्यक्ति अपना जमा धनराशि पाने के लिए इधर–उधर भटक रहे हैं। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करते हुये उपरोक्त विपक्षीगण से प्रार्थी का जमा धनराशि वापस दिलाने की कृपा करें।''

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थीगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण कानून का पालन करने वाले सम्मानित व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में बिना किसी विशिष्ट व व्यक्तिगत साक्ष्य के नामजद किया गया है। गंभीर आरोपों को लगाने से पहले जमा राशि के सत्यापन, परिपक्वता, भुगतान की जॉच और आर0ओ0सी0 से पूर्व वैधानिक मंजूरी/रिपोर्ट प्राप्त करने की मूलभूत पूर्वशर्तों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान आवेदकों का आरोप कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण, समय से पहले और कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर है। यह मामला मूल रूप से परिपक्वता राशि के भुगतान न होने के संबंध में अनुबंध के कथित उल्लंघन से उत्पन्न एक दीवानी विवाद है। यह भी तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद होने से लगभग छह महीने पहले आवेदकों ने 03.05. 2025 के एक प्रमाणित बोर्ड संकल्प के माध्यम से उक्त कंपनी के निदेशक पद से औपचारिक और कानूनी रूप से इस्तीफा दे दिया था, जिसे निदेशक ने स्वीकार कर लिया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168(2) के तहत आवेदकों को उनके इस्तीफे के बाद कंपनी के किसी भी कार्य के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदकों ने 2020 से ही कंपनी के भीतर वित्तीय अनियमितताओं का सक्रिय रूप से विरोध किया है। वर्ष 2021 से लेकर अपने इस्तीफे तक उन्होंने सीएमडी के अनुचित निर्णयों का लगातार विरोध किया और यहां तक कि मार्च–अप्रैल 2025 में अनधिकृत सम्पत्ति हस्तान्तरण के खिलाफ सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायतें भी दर्ज करायी। यह भी तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि बी0एन0एस0 की धारा–319(2),318(4),338,336(3),340(2) के तहत कथित अपराधों के लिए कानूनी तत्वों में से कोई भी वर्तमान आवेदकों के विरूद्ध लागू नहीं होता है। मामला पूरी तरह से मे0 सिटी म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड नामक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कामकाज और वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कथित विवाद सामान्य आपराधिक अपराध के बजाय कार्पोरेट अपराध के दायरे में आता है। स्थानीय पुलिस द्वारा बिना किसी पूर्व वित्तीय लेखा परीक्षा, एमसीए की प्रारंभिक जांच या वैधानिक प्राधिकरण के, बी0एन0एस0 के सामान्य प्रावधानों के तहत सीधे एफ0आई0आर0 दर्ज करना, इस विशेष वैधानिक योजना का घोर उल्लंघन है। एमसीए द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जांच के बिना नियमित पुलिस के पास किसी निगमित संस्था के आंतरिक वित्तीय प्रबन्धन में सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिससे वर्तमान अभियोजन कानूनी रूप से दोषपूर्ण, समय से पहले और अग्रिम जानत द्वारा संरक्षित होने योग्य हो जाता है। आवेदक/अभियुक्त जॉच में पूर्णतः सहयोग करने, बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, अपने पासपोर्ट सरेंडर करने और लगाई गई किसी भी अन्य शर्त का पालन करने के लिए तैयार है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से वादी मुकदमा एवं अन्य निवेशकों के प्रति छल कारित करते हुए बेईमानी से अभियुक्त व उसके सह अभियुक्तगण द्वारा संचालित निवेश उपक्रम को एक बड़ी धनराशि परिदत्त किये जाने हेतु उत्प्रेरित कर उनसे प्राप्त धनराशि के दुर्विनियोग का अभियोग लगाया गया है। हस्तगत मामले के प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन

से यह प्रकट होता है कि आवेदक मामले का नामजद अभियुक्त है। स्थानीय थाने द्वारा प्रेषित प्रस्तरवार आख्या व प्रकरण दैनिकी के साथ संलग्न आवेदक/अभियुक्त द्वारा संचालित उपक्रम द्वारा विभिन्न निवेशकों को निर्गत प्राप्ति रसीद की छायाप्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त उपक्रम द्वारा प्राप्त धनराशि के साथ परिपक्वता की तिथि उल्लिखित करते हुए निवेशकों को प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। परिपक्वता अवधि के उपरान्त उक्त उपक्रम द्वारा निवेशकों को परिपक्व धनराशि अदा न किया जाना प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त की मामले में संलिप्तता को दर्शाता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह संकेत करे कि उसे मात्र गिरफ्तार कराकर क्षति पहुॅचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत मामले में आलिप्त किया गया हो। निवेशकों की कड़ी मेहनत से अर्जित किये गये उनकी धनराशि का बांड की परिपक्वता के उपरान्त भी उन्हें आवेदक/अभियुक्त द्वारा संचालित उपक्रम द्वारा अदा न किया जाना आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की विवेचना प्रचलित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में संप्रेक्षण, यदि कोई हो तो, मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे संप्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से किये गये हैं।

दिनांकः–16.07.2026

(संतोष कुमार गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1
मीरजापुर।
J O.Code - UP2396